

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-05/स्था०(आरोप)-03/2014...../परि० पटना, दिनांक.....

जिला पदाधिकारी, नालंदा(बिहार शरीफ) के ज्ञापांक 124 दिनांक 20.01.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राम निरंजन सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालंदा(बिहार शरीफ) को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा(बिहार शरीफ) के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 05/स्था०(आरोप)-03/2014 519

पटना, दिनांक 24/01/2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा, जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा/संयुक्त आयुक्त-सह-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/ श्री राम निरंजन सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालंदा(बिहार शरीफ)/मोटरयान निरीक्षक, नालंदा/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग/प्रभारी सहायक स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/14
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना